छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–53 / राजस्व / राहत / 2013 रायपुर, दिनांक / 09 / 2013
प्रति,

कलेक्टर,
जिला–रायगढ़, राजनांदगॉव (छ0ग0)

विषयः–राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अन्तर्गत अनुदान सहायता हेतु आबंटन वर्ष 2013–14

संदर्भः–कलेक्टर रायगढ़ का पत्र कमांक 5195 दिनांक 06.08.2013, कलेक्टर राजनांदगॉव का पत्र कमांक 5946 दिनांक 26.08.2013

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। जिलों में दैवीय विपत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद मांग संख्या–58, मुख्यशीर्ष–2245–दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत–के अन्तर्गत रूपये 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) निम्नानुसार शर्तो के अधीन आबंटन सौपा जाता है :–

(राशि लाख रूपये में)

क.	जिला	मांगसंख्या–58 मुख्यशीर्ष–2245–दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत					
		01–सूखा–101–निः शुल्क सहायता–96–अग्नि पीड़ितों को राहत–14 सहायक अनुदान–011–वैयक्तिक अनुदान	02–बाढ़ चकवात आदि–101–निशुल्क सहायता–2018–नगददान–14 सहायक अनुदान–011–वैयक्तिक अनुदान	02–बाढ़ चकवात आदि–111–शोक संतप्त परिवारों को अदायगियां–7352 शोकार्त परिवारों को सहायक अनुदान –14 सहायक अनुदान–012–अन्य अनुदान	02–बाढ़ चकवात आदि–112–जनसंख्या का निष्कम–7357 – बाढ़ अनुदान आदि में सहायता–14–सहायक अनुदान–012 –अन्य अनुदान	02–बाढ़ चकवात आदि–113–मकानों की मरम्मत और पुर्ननिर्माण के लिये सहायता–7357 शोकार्त परिवारों को सहायक अनुदान–14 सहायक अनुदान–012–अन्य अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायगढ़	5.00	20.00	30.00	50.00	15.00	120.00
2	राजनांदगॉव	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	योग	**5.00**	**20.00**	**30.00**	**50.00**	**45.00**	**150.00**

(रूपये एक करोड पचास लाख मात्र)

2. उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य / लघु शीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण / व्यय भी उसी मद के अन्तर्गत किया जावे ।

D:\D drive\Deatils of all file\Letter-53.doc

एन.आई.सी. राज्य इकाई, रायपुर
No. 1198
Date 11/9/13
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

3. उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावें। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावें।

4. उक्त आबंटन के विरूद्ध किये गये आहरण एवं व्यय की जानकारी आगामी माह के 7 तारीख तक मासिक व्यय पत्रक एवं विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें ।

5. उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2014 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 1–53/राजस्व/राहत/2013/931 रायपुर, दिनांक 10/09/2013

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी छत्तीसगढ़ रायपुर ।
3. संभागीय आयुक्त, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़।
4. संचालक, कोषलेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. जिला कोषालय अधिकारी रायगढ़, राजनांदगॉव छत्तीसगढ़ ।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर ।
8. स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

6/9/13
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

D:\D drive\Deatils of all file\Letter-53.doc